झारखण्ड सरकार

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग,

एफ0–49 / 50, सेक्टर–III धुर्वा, राँची–834004.

विज्ञापन संख्या–04 / 2014

विवरणिका

सहायक प्रतियोगिता परीक्षा– 2014

(झारखण्ड सचिवालय सेवा एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग के अधीन)

[ACE-2014]

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्र संख्या 7/नियुक्ति–003/2013 का0– 4347 (अनु0)दिनांक–15.05.2014 एवं पत्रांक–9283 (अनु0) दिनांक–15. 09.2014 तथा पत्र संख्या– 11/क0च0आ0–02–15/2014 का0–6145 (अनु0) दिनांक– 12.06.2014 द्वारा संसूचित रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति के लिए सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन हेतु भारत के नागरिकों से विहित प्रपत्र में सहायक प्रतियोगिता परीक्षा– 2014 के लिये ऑनलाईन (Online)आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैं। उम्मीदवार अहर्ता अनुसार निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता तथा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत आवेदन दे सकते है।

2. **रिक्तियों का विवरण :–**

क्रम सं0	सेवा का नाम	पदनाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या				
				कुल	क्षैतिज आरक्षण			
					महिला	कम दृष्टि	मूक बाधिर	शारीरिक विकलांग एवं सेरेब्रल पालसी
1	**2**	**3**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	झारखण्ड सचिवालय सेवा	सहायक	**1.**अनारक्षित/सामान्य	53	02	01	01	01
			2.अनुसूचित जनजाति	12	01	0	0	0
			3.अनुसूचित जाति	14	01	0	0	0
			4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)	12	01	0	0	0
			5.पिछड़ा वर्ग (अनुसूची –2)	13	01	0	0	0
			योग :–	**104**	**06**	**01**	**01**	**01**
2	झारखण्ड लोक सेवा आयोग	सहायक	**1.**अनारक्षित/सामान्य	05	0	0	0	0
			2.अनुसूचित जनजाति	02	0	0	0	0
			3.अनुसूचित जाति	01	0	0	0	0
			4.अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)	01	0	0	0	0
			5.पिछड़ा वर्ग (अनुसूची –2)	01	0	0	0	0
			योग :–	**10**	**0**	**0**	**0**	**0**
			सकल योग :–	**114**	**06**	**01**	**01**	**01**

3. परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो लें कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्त्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबन्धिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नही करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जाँच करेगा।

4. कंडिका– 2 में वर्णित पदों का वेतनमान एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निम्नवत् हैः–

क्रम सं0	**पदनाम**	**वेतनमान**	**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता**
1	**2**	**3**	**4**
1	सहायक	वेतन बैंड पी0बी0II– रू0 9300–34800 ग्रेड वेतन– रू0 4600	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष डिग्री ।

5. आयु सीमाः– उम्र की गणना दिनांक– 01.08.2014 के आधार पर की जायेगी।

1. न्यूनतम उम्र सीमा– 18 वर्ष

2. अधिकतम उम्र सीमा :–

(क) अनारक्षित / सामान्य– 35 वर्ष

(ख) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची (1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची (2)- 37 वर्ष

(ग) महिला (अनारक्षित, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग अनुसूची (1) एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची (2)– 38 वर्ष

(घ) अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति (पुरूष एवं महिला)– 40 वर्ष

(ड) विकलांग व्यक्तियों के लिये अधिकतम उम्र सीमा में अतिरिक्त पाँच वर्ष की छूट होगी।

6. **आरक्षणः–**

(I) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(II) आरक्षण का लाभ एवं उम्र सीमा में छूट केवल झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी को ही देय होगा। झारखण्ड राज्य के बाहर के सभी उम्मीदवार अनारक्षित / सामान्य वर्ग के माने जायेंगे।

(III) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण सम्बन्धी सभी नियम प्रभावी होंगे।

आरक्षण का दावा करने वाले झारखण्ड के स्थानीय निवासी उम्मीदवार को निम्न प्रमाण–पत्र आयोग द्वारा प्रमाण–पत्रों की जाँच के अवसर पर समर्पित करना अनिवार्य होगाः–

(i) स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र **(नियोजन के लिए)**– जिला / अनुमंडल के उपायुक्त / अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित–प्रपत्र में अद्यतन निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। **(परिशिष्ट–I पर अंकित प्रपत्र)**

(ii) जाति प्रमाण पत्र– जिला / अनुमंडल के उपायुक्त / अनुमण्डल पदाधिकारी से विहित–प्रपत्र {अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए **परिशिष्ट–II पर अंकित प्रपत्र** तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) / पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के लिए **परिशिष्ट–III पर अंकित प्रपत्र**} में अद्यतन निर्गत जाति प्रमाण–पत्र।

(iii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के लिए दिनांक– 31.03.2014 के पश्चात् विहित–प्रपत्र **(परिशिष्ट–III पर अंकित प्रपत्र)** में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(iv) निःशक्तता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवार के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से विहित–प्रपत्र में अद्यतन निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र। सभी श्रेणियों में निःशक्तता का दावा तभी मान्य होगा जब निःशक्तता कम से कम 40% (चालीस प्रतिशत) अथवा उससे अधिक हो।

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एंव जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र परिशिष्ट के रूप में विवरणिका में संलग्न है।

7. निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा

अंध / नेत्रहीन / कम दृष्टि, दोनों हाथ एवं बाँह में चलन निःशक्तता तथा सेरेब्रल पालसी से ग्रसित अभ्यर्थियों, जिसकी निःशक्तता प्रतिशत 40% अथवा इससे अधिक हो एवं पढ़ने–लिखने में असमर्थ हों,

वैसे अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा देय है। निम्नांकित शर्तों पर निःशक्त अभ्यर्थी श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा प्राप्त कर सकते हैंः–

(क) वैसे निःशक्त अभ्यर्थियों को ही श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा मिलेगी जिनके प्रवेश पत्र (Admit card) में category के समक्ष आरक्षण वर्ग के पश्चात PH- Cerebral Palsy या Vision मुद्रित हो।

(ख) निःशक्त अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक/स्क्राइब की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

(ग) श्रुतलेखक/स्क्राइब 12वीं कक्षा अथवा इंटरमिडियेट से अधिक शिक्षित नहीं हो तथा वह अभ्यर्थी का निकट संबंधी नहीं हो।

(घ) 12वीं कक्षा अथवा इंटरमिडियेट की परीक्षा में श्रुतलेखक/स्क्राइब को 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त न हो।

(ड़) श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा प्राप्त करने के लिए निःशक्त अभ्यर्थी परीक्षा के एक दिन पूर्व प्रवेश पत्र (Admit card) में निर्धारित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक को अपना आवेदन पत्र, स्वयं व्यवस्था किए गए श्रुतलेखक/स्क्राइब की <u>विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–IV)</u> में विवरणी तथा निःशक्तता प्रमाण की स्व–आभिप्रमाणित प्रति के साथ उपलब्ध करायेंगे।

(च) परीक्षा की तिथि को श्रुतलेखक/स्क्राइब के साथ अभ्यर्थी परीक्षा के 1 ½ घंटा पूर्व परीक्षा केन्द्र पर निश्चित रूप से उपस्थित होंगे। जो अभ्यर्थी अपने साथ श्रुतलेखक/स्क्राइब नहीं लायेंगे, उन्हें यह सुविधा नहीं मिलेगी और इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(छ) केन्द्राधीक्षक द्वारा निःशक्त अभ्यर्थियों को सभी पालियों की परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

(ज) वैसे अभ्यर्थी जिनकी Locomotor disability एवं Cerebral Palsy से लिखने की क्षमता 40 प्रतिशत से ज्यादा किन्तु आंशिक रूप से प्रभावित हुई है, उन्हें श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा देय नहीं होगी, किन्तु उन्हें सभी पालियों में प्रति घंटा 20 मिनट की दर से अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

(झ) श्रुतलेखक/स्क्राइब की सुविधा इस कोटि के अभ्यर्थी द्वारा केन्द्राधीक्षक को परीक्षा के एक दिन पूर्व दिये गये आवेदन पर ही दिया जायेगा। जो अभ्यर्थी यह सुविधा प्राप्त करने के लिये आवेदन नहीं देगें उन्हें यह सुविधा देय नहीं होगी। परीक्षा के दिन को श्रुतलेखक/स्क्राइब हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

8. ON LINE <u>आवेदन पत्र को भरना एवं जमा करना :–</u> ऑन–लाईन आवेदन को भरने के लिए दिए गये दिशा निदेश का अक्षरशः पालन करें। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा (Submit) करें। आवेदन पत्र भरने के लिए आयोग के वेवसाईट www.jssc.in पर जाएँ एवं Online Application for ACE-2014 पर Click करें तथा आवेदन पत्र भरें।

9. <u>मेधा सूचीः–</u>

(i) आयोग द्वारा आयोजित प्रारम्भिक परीक्षा के दोनों विषयों के प्राप्तांक के योग के आधार पर सामान्य मेधा–सूची (Common merit list) तैयार की जायेगी और कोटिवार रिक्त पदों की संख्या के 5 गुणा अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिये किया जायेगा।

(ii) मेधा–सूची में एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक समान (Equal marks) रहने पर मेधा का निर्धारण उम्मीदवारों की जन्म तिथि के आधार पर किया जायेगा तथा अभ्यर्थी, जिनकी उम्र ज्यादा होगी, उन्हें अपेक्षाकृत उपर स्थान मिलेगा। यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के प्राप्तांक और जन्म तिथि समान पायी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उनके नाम के अंग्रेजी वर्त्तनी (Spelling) के वर्णक्रम के अनुसार मेधा का निर्धारण किया जायेगा और इसके निर्धारण के लिये आवेदन में अंकित अंग्रेजी में लिखे गये नाम को आधार माना जायेगा।

(iii) मेधा के आधार पर अनारक्षित पद के लिये तैयार मेधा सूची में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के आने की स्थिति में उक्त अभ्यर्थी की गणना अनारक्षित वर्ग के अनुमान्य पदों के विरूद्ध की जायेगी और उनके नाम के सामने उनका आरक्षण वर्ग भी वही होगा। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त अद्यतन निर्देशों का पालन किया जायेगा।

(iv) मुख्य परीक्षा के आधार पर सामान्य मेधा–सूची तैयार की जायेगी और तदुपरान्त रिक्तियों के अनुसार आरक्षणवार/विकल्प वार सूची गठित होगी। मुख्य परीक्षा में निम्न न्यूनतम अर्हतांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेधा–सूची में शामिल नहीं किया जायेगाः–

(I)	**अनारक्षित/सामान्य वर्ग**	**–**	**40 (चालीस) प्रतिशत**
(II)	**अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति**	**–**	**32 (बत्तीस) प्रतिशत**
(III)	**अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1)**	**–**	**34 (चौतीस) प्रतिशत**
(IV)	**पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2)**	**–**	**36.5 (साढ़े छतीस) प्रतिशत**
(V)	**महिला**	**–**	**32 (बत्तीस) प्रतिशत**

(v) मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा–सूची प्रारूप गठित करने के पश्चात् यथा समय अपनी सुविधा के अनुसार आयोग के द्वारा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सहयोग से प्रमाण पत्रों की जांच करायी जायेगी ।

प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में यदि किसी कोटि के उम्मीदवार के दावों का सत्यापन नहीं हो पाता है और उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है, **तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कोटि में रिक्त पदों की उपलब्धता के आलोक में मेधा सूची से क्रम के अनुसार उम्मीदवारों को प्रमाण–पत्रों के जाँच के लिए आमंत्रित किया जायेगा।**

अभ्यर्थियों की जानकारी के लिए प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के अंतिम परिणाम प्रकाशित होने के बाद अभ्यर्थियों का अंक आयोग के वेवसाईट पर upload होगा। **प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्राप्त अंको एवं OMR Answer sheet की जानकारी नहीं दी जायेगी।**

10. <u>अभ्यर्थियों का विकल्प</u> :– सभी अभ्यर्थी झारखण्ड सचिवालय सेवा तथा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के लिये प्रथम एवं द्वितीय विकल्प अपनी इच्छानुसार निश्चित रूप से देंगे। आवेदन में दिया गया विकल्प अंतिम होगा और इसमें संशोधन मान्य नहीं होगा। झारखण्ड सचिवालय सेवा तथा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के सहायक पद पर नियुक्ति के लिए चयन का आधार मेधा–सह–विकल्प (Merit Cum Option) होगा।

11. <u>नियुक्तिः–</u>

(i) परीक्षा में सफलता सेवा में सहायक के पदों पर नियुक्ति के लिये कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करेगा, जब तक झारखण्ड सरकार का, ऐसी जांच के पश्चात् ,जो आवश्यक समझी जाय, समाधान नहीं हो जाता है कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिये अपने चरित्र और पूर्व वृत्त के सम्बन्ध में सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(ii) किसी अभ्यर्थी को सहायक के पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक वह ऐसी चिकित्सीय जांच, जिसे झारखण्ड सरकार विहित करे, के पश्चात् किसी मानसिक या शारीरिक त्रुटि (निःशक्त कोटि के अभ्यर्थियों को छोड़कर) से मुक्त पाया गया हो, जिससे सेवा के कत्तव्यों के निर्वहन में व्यवधान उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(iii) सेवा में नियुक्तियाँ समय–समय पर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2), अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1), निःशक्त व्यक्तियों एवं महिलाओं के लिये सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में आदेशों के अध्यधीन होगी।

12. परीक्षा का स्वरूप

1. **परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम :–** परीक्षा दो चरणों में ली जायेगी –

(क) प्रारम्भिक परीक्षा

(ख) मुख्य परीक्षा

दोनों परीक्षाओं में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। सही उत्तर के लिए 3 (तीन) अंक दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 (एक) अंक की कटौती की जायेगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या 120 तथा परीक्षा की अवधि 2 (दो) घंटो की होगी। परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी।

2. **प्रारम्भिक परीक्षा :–**

(i) प्रारम्भिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान (प्रारम्भिक) का प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत होगी :–

(क)	सामान्य अध्ययन	–	30 प्रश्न
(ख)	सामान्य विज्ञान एवं गणित	–	30 प्रश्न
(ग)	मानसिक क्षमता जाँच	–	30 प्रश्न
(घ)	कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान	–	30 प्रश्न

(ii) **प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :–**

(क) :– सामान्य अध्ययन :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी सम्बन्धी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और इसके पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(i) सम–सामयिक विषय :– वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं।

(ii) भारत देश :– भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, एवं भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान।

(ख) :– सामान्य विज्ञान एवं गणित :– निम्न विषय से यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते है :–

(i) सामान्य विज्ञान :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से सम्बन्धित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ii) गणित :– इसमें सामान्यतः प्रवेशिका स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते है।

(ग) :– मानसिक क्षमता जाँच :–

इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं– सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बन्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृखंला एवं कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।

(घ) :– कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान :–

Basic knowledge of Computer इसमें कम्प्यूटर में उपलब्ध उपकरणों एवं संचालन की विधि की जानकारी से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

3. मुख्य परीक्षा– मुख्य परीक्षा के लिये दो पत्र होंगे :–

(क) प्रश्न पत्र 1 – विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान :–

(i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे।

(ii) इस विषय में अर्हतांक 30 प्रतिशत है जो अनिवार्य है। जो उम्मीदवार इस विषय में 30 प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करेंगे, उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय सामान्य ज्ञान (मुख्य) (प्रश्न पत्र–2) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा वे मुख्य परीक्षा में योग्यता प्राप्त नहीं समझे जायेंगे। प्राप्त अंक की गणना मेधा सूची के परियोजनार्थ की जायेगी।

(ख) प्रश्न पत्र 2 – विषय सामान्य ज्ञान (मुख्य) :–

(i) इस परीक्षा के लिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे।

(ii) प्रश्न पत्र 2 सामान्य ज्ञान (मुख्य) में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत् होगीः–

(क) सामान्य अध्ययन, समसामयिक विषय, भारत देश एवं सामान्य विज्ञान – 30 प्रश्न होंगे।

(ख) अंकगणित – 30 प्रश्न होंगे।

(ग) मानसिक क्षमता जाँच – 30 प्रश्न होंगे।

(घ) कम्प्यूटर का मूल ज्ञान (Basic knowledge of Computer) – 30 प्रश्न होंगे।

4. मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम :–

प्रश्न पत्र– 1 : विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान (मुख्य) :–

इस विषय के निम्नलिखित पाठ्यक्रम होंगे :–

(क)	हिन्दी अनुच्छेद आधारित प्रश्न	–	30 प्रश्न
(ख)	हिन्दी व्याकरण से सम्बन्धित प्रश्न	–	30 प्रश्न
(ग)	अंग्रेजी अनुच्छेद (Comprehension) पर आधारित प्रश्न	–	30 प्रश्न
(घ)	अंग्रेजी व्याकरण से सम्बन्धित प्रश्न	–	30 प्रश्न

प्रश्न पत्र– 2 : विषय सामान्य ज्ञान (मुख्य) :–

(क) :– सामान्य अध्ययन, समसामयिक विषय, भारत देश एवं सामान्य विज्ञान

(i) सामान्य अध्ययन :– इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आस–पास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उसकी योग्यता की जाँच करनी होगी। वर्तमान घटनाओं और दिन–प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा

उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी सम्बन्धी ऐसे प्रश्न भी शामिल किये जायेंगे, जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें झारखण्ड, भारत और इसके पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेष रूप से यथा सम्भव प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

(ii) सम सामयिक विषय :– वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल–खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनायें।

(iii) भारत देश :– भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य एवं स्वतंत्रता आन्दोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आन्दोलन में झारखण्ड का योगदान।

(iv) सामान्य विज्ञान :– सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र में दिन–प्रतिदिन के अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित विज्ञान की सामान्य समझ एवं परिबोध से सम्बन्धित विषय रहेंगे, जैसा कि एक सुशिक्षित व्यक्ति से, जिसने किसी विज्ञान विषय का विशेष अध्ययन नहीं किया हो, अपेक्षित है।

(ख) :– **गणित :–** (मुख्य परीक्षा)

इसमें सामान्यतः प्रवेशिका स्तर के प्रश्न पूछे जा सकते है।

(ग) :– **मानसिक क्षमता जाँच :–** इसमें शाब्दिक और गैर–शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे। इस घटक में निम्न से सम्बन्धित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं :–

सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, सम्बन्ध अवधारणा, अंक गणितीय तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंक गणितीय संख्या श्रृखंला, गैर–शाब्दिक श्रृखंला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या।

(घ) :– **कम्प्यूटर का मूलभूत ज्ञान :–**

इसमें कम्प्यूटर के मूल ज्ञान से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

13. परीक्षा शुल्कः–

परीक्षा शुल्क रू0 500 (पांच सौ रूपये) है।

परीक्षा शुल्क में छूटः– झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0 125 (एक सौ पच्चीस रूपये) है। रियायती शुल्क पर online आवेदन पत्र झारखण्ड राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जा सकती है। ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने में बैंक चालान अथवा क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिग के माध्यम से परीक्षा शुल्क जमा करने की सुविधा उपलब्ध होगी। बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जा सकेगें। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

14 . ऑन–लाईन (Online) आवेदन को भरने के लिए दिशा निदेश

(III) आवेदक अपने नाम की वर्त्तनी (spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक/10वीं के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है। सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गये नाम की वर्त्तनी (spelling) में अंतर नहीं होना चाहिये। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री/मिस्टर/श्रीमान् आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाय।

(IV) आवेदक के मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक पत्र में जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा– तिथि, महीना और वर्ष है, वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखेंगे।

(V) आवेदन पत्र में फोटो चिपकाने हेतु छोड़ी गयी खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। उम्मीदवार के फोटो, हाल के, होने चाहिये। फोटो से अभ्यर्थी का चेहरा पूर्ण रूपेण एवं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होना चाहिए। धूप चश्मा/टोपी के साथ खींचे गये फोटोग्राफ का व्यवहार न करें।

आवेदन पत्र में सभी सूचनाएँ भरा जाना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन Online Submit नहीं हो पायेगा।.

15 अन्यान्य

1. आयोग द्वारा परीक्षाओं के संचालन के अवसर पर झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम, 2001 के प्रावधान प्रभावी होगा।
2. आवेदन में अंकित सूचनाओं एवं प्रविशिष्ठयों की पूर्ण जिम्मेवारी आवेदक की होगी तथा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के विषय पर अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/अभिभावक द्वाराः–
   - (i) आवेदन प्रपत्र में गलत सूचना देने/गलत प्रमाण पत्र समर्पित करने/जालसाजी,
   - (ii) परीक्षा के दौरान अवैध तरीका अपनाने/नकल करने/फर्जी अभ्यर्थी को अपनी जगह पर परीक्षा में बैठाने/कदाचार करने में लिप्त पाये जाने,
   - (iii) प्रमाण पत्रों की प्रारम्भिक जाँच के अवसर पर आयोजित काउन्सेलिंग (counselling) के दौरान फर्जी प्रमाण–पत्रों/फर्जी पहचान के आधार पर नियुक्ति हेतु चयन सूची में स्थान पा जाने की स्थिति में वे निम्न दण्ड के भागी होंगे :–
     - (क) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
     - (ख) अभ्यर्थी को आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के लिये अगले 2 वर्षों के लिये वंचित कर दिया जायेगा।
     - (ग) अपराधिक घटना की स्थिति में अभ्यर्थी/उनके माता–पिता/अभिभावक यथास्थिति जो भी उत्तरदायी हो, के विरूद्ध विधि के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।
4. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की आवेदन पत्र/उम्मीदवारी निम्न अवस्थाओं में रद्द किया जा सकेगा :–

(i) अभ्यर्थी की उम्र परीक्षा में भाग लेने के लिये निर्धारित उम्र सीमा में नहीं होना।

(ii) शैक्षणिक योग्यता सहित निर्धारित अर्हताओं को पूरा नहीं करना।

(iii) निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करना।

(iv) प्रमाण पत्रों की जाँच के अवसर पर उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक अर्हताओं से सम्बन्धित यथा निर्धारित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति निर्धारित समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं करना।

(v) आयोग की परीक्षा में नकल करना।

(vi) आयोग की परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य व्यक्ति को फर्जी ढंग से शामिल करना।

(vii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्य देकर परीक्षा में शामिल होने का अधिकार पा जाना, जो किसी भी समय प्रमाणित हो। इस विषय पर आयोग को निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(viii) आयोग की परीक्षा में शामिल होने के लिये प्रवेश पत्र जारी होना अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को संरक्षित नहीं कर सकेगा।

(ix) अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द करने के विषय पर निर्णय लेने के पूर्व उसे अपना पक्ष रखने के लिये समुचित अवसर दिया जायेगा तथा पूरे मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त आयोग विधिसम्मत निर्णय लेगा।

(x) उम्मीदवारी को रद्द करने के विषय पर निर्णय की जानकारी अभ्यर्थी को यथासमय दी जायेगी।

(xi) परीक्षाफल प्रकाशन होने के 7 दिनों के अन्दर कोई भी परीक्षार्थी विहित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन दे सकेगा। इसका यथाशीघ्र निष्पादन आयोग द्वारा करते हुए परीक्षार्थी को सूचित किया जायेगा।

(xii) किसी परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थियों द्वारा सामूहिक नकल/कदाचार किये जाने की शिकायत होने और जाँच में इसे प्रमाणित पाये जाने पर उक्त परीक्षा केन्द्र पर संपादित परीक्षा को रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। परीक्षा रद्द होने की स्थिति में पुनः उसकी परीक्षा नहीं ली जायेगी।

(xiii) परीक्षा की अवधि में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा प्रारम्भ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

(xiv) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि Online भरा हुआ आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व उसे एक बार भली भांति जाँच ले ताकि कोई त्रुटि न रह जाये।

(xv) वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हे संघ लोक सेवा आयोग/झारखण्ड लोक सेवा आयोग/झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग/अन्य चयन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक कदाचार के मामलों में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया हो। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(xvi) परीक्षा केन्द्र के अन्दर मोबाइल फोन, पेजर अथवा इस प्रकार का कोई भी इलेक्ट्रोनिक उपकरण ले जाना वर्जित होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केन्द्र के अन्दर किसी प्रकार का मुल्यवान अथवा कीमती वस्तु नहीं ले जाँय। अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी जाती है कि परीक्षा में उपयोग होने वाले वस्तुओं को ही ले जाँय। परीक्षा केन्द्र परिसर में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना परीक्षार्थियों का दायित्व होगा।

(xvii) प्रवेश पत्र (Admit Card) आयोग के website पर upload होगा जिसे अभ्यर्थी Download कर परीक्षा में शामिल होंगे। प्रवेश पत्र (Admit Card) डाक से

अलग से नहीं भेजा जायेगा। बिना प्रवेश पत्र (Admit Card) के परीक्षा में बैठने की अनुमति नही दी जायेगी।

प्रवेश पत्र (Admit Card) में किसी प्रविष्टि अथवा फोटो में त्रुटि हो तो अभ्यर्थी संबंधित परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा अधीक्षक को आवेदन देकर परीक्षा में शामिल हो सकेगें तथा आवेदन के साथ स्वःप्रमाणित प्रवेश पत्र (Admit Card) एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र की प्रति देना अनिवार्य होगा। साथ ही फोटो पहचान पत्र मूल में अभ्यर्थी को परीक्षा अवधि में अपने साथ रखना होगा।

(xviii) परीक्षा आयोग द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी।

(xix) Online दिये गये आवेदन एवं परीक्षा शुल्क की भुगतान से संबंधित बैंक चालान की प्रति एवं परीक्षा में शामिल होने के लिए निर्गत प्रवेश पत्र (Admit Card) की प्रति अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेगें। इन कागजातो की आवश्यकता भविष्य में आ सकती है।

(xx) परीक्षा में OMR ANSWER SHEET का उपयोग होगा तथा परीक्षा के बाद Computer के माध्यम से मूल्यांकन कार्य सम्पादित होता है। सभी अभ्यर्थी को हिदायत की जाती है कि OMR ANSWER SHEET पर आवश्यक प्रविष्टी (Entry) के अलावे उस पर किसी प्रकार का अन्य चिन्ह नहीं बनावे अन्यथा मूल्यांकन में त्रुटि के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होगें। OMR ANSWER SHEET पर उत्तर के लिए संबंधित गोला को इस प्रकार Black Ball Point Pen से पूरा काला (Darken) करें जिससे कि किसी अन्य गोला पर कोई निशान/चिन्ह नहीं बनने पाये अन्यथा मूल्यांकन प्रभावित होने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगें।

(xxi) प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षाफल के प्रकाशन के पश्चात ही सिर्फ अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक अथवा OMR ANSWER SHEET की जानकारी आयोग से प्राप्त कर सकेगें।

(xxii) परीक्षा से संबंधित सभी सूचनाएँ आयोग के वेवसाईट पर दिया जायेगा।

(xxiii) आयोग को अपरिहार्य कारणो से परीक्षा के कार्यक्रम में परिवर्त्तन का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

ह0/—
परीक्षा नियंत्रक

परिशिष्ट (I)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/बि0बि0आ0–019–03/2002–4156 दिनांक– 17 जुलाई, 2002 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

प्रपत्र

कार्यालय का नाम :–

स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र (नियोजन के लिए)

संख्या :–...................................... तिथिः................... ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/ पति श्री .... पता–ग्राम/वार्ड/शहर...................................... पो0 ...., थाना ...., जिला .... के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण–पत्र कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या– 3389, दिनांक– 22 दिसम्बर, 2001 के साथ संलग्न बिहार सरकार के श्रम एवं नियोजन विभाग के पत्र संख्या– 3/स्था0नि0 5014/81–806, दिनांक– 03 मार्च, 1982 में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। यह प्रमाण पत्र मात्र नियोजन के संदर्भ में मान्य होगा।

स्थान :–
दिनांक :–

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले
पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम ....
पदनाम ....

————————

परिशिष्ट (II)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जा.नि.–19–11/2008 का.–5682 दिनांक– 22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

प्रपत्र–I

....

(कार्यालय का नाम)
जाति प्रमाण–पत्र
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या–.................................. तिथिः–............................

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री .... निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला .... डाकघर........................... थाना .... जिला .... राज्य.............................. अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* श्रेणी के अन्तर्गत................................... जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड राज्य के लिये अनुसूचित जाति*/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.............................. एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा.................................., शहर.............................., जिला..........................., राज्य.................... में निवास करते हैं।

स्थान :– सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम ....

दिनांक :– पदनाम ....

(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा–23 एवं 24 के अन्तर्गत 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
2. * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002.

————————

परिशिष्ट (III)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक– 7/जाति–19–11/2008 का.–10007 दिनांक– 29 अगस्त, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

प्रपत्र–II

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत कया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... पुत्र/पुत्री .... ग्राम/शहर .... थाना .... जिला .... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम–2001*,** की धारा–2 के अन्तर्गत अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–2) के अधीन अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .... समुदाय से आते/आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–3482 दिनांक– 10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक–08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ–3 में उल्लिखित व्यक्ति/वर्ग (क्रीमी लेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान :–

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
नाम ....

दिनांक :–

पदनाम ....
(कार्यालय की मुहर)

(नोटः– जो लागू नहीं हो, उसे काट दिया जाय।)

1. * झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. ** झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा–2 में सन्निहित अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या–3885, दिनांक 05.11.2001, 801 दिनांक 11.02.2003, 3436 दिनांक 28.06.2004, 6337 दिनांक 08.12.2004, 6374 दिनांक 11.12.2004, 368 दिनांक 19.01.2006, 2759 दिनांक 01.06.2006, 3706 दिनांक 15.07.2006, 4447 दिनांक 24.08.2006, 5182 दिनांक 26.09.2006, 1604 दिनांक 28.03.2007, 243 दिनांक 11.01.2008, 5108 दिनांक 23.09.2008, 4450 दिनांक 01.08.2001, 5826 दिनांक 19.09.2011, 697 दिनांक 26.09.2011, 6580 दिनांक 20.10.2011, 8060 दिनांक 17.12.2011 एवं 144 दिनांक 06.01.2012, 2855 दिनांक 27.03.2012 एवं समय–समय पर यथा संशोधित।

परिशिष्ट (IV)

सहायक प्रतियोगिता परीक्षा–2014

श्रुतलेखक / स्क्राइब की विवरणीः–

1. अभ्यर्थी का नाम...2. रौल नं0–

3. निःशक्तता का प्रकार एवं प्रतिशत–

4. परीक्षा केन्द्र का नाम 5. परीक्षा कक्ष सं0 (इसे खाली छोड़ दें)

6. श्रुतलेखक / स्क्राइब का नाम–

7. श्रुतलेखक / स्क्राइब के पिता / पति का नाम–

8. श्रुतलेखक / स्क्राइब का पता–

9. श्रुतलेखक / स्क्राइब की जन्म तिथि–

10.श्रुतलेखक / स्क्राइब की शैक्षणिक योग्यता :–

परीक्षा या कोर्स का नाम	संकाय	वर्ष	उत्तीर्ण / अध्ययनरत	प्राप्तांक का प्रतिशत	बोर्ड / महाविद्यालय
1	2	3	4	5	6
मैट्रिक / हाई / स्कूल / सेकण्डरी					
+2 इंटरमिडियेट					

मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि श्रुतलेखक / स्क्राइब श्री / श्रीमती / सुश्री 12वीं / इंटरमिडियेट तक शिक्षित हैं तथा मेरे निकट संबंधी नहीं हैं। उक्त घोषणा गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति रद्द कर दी जाय।

श्रुतलेखक / स्क्राइब का हस्ताक्षर अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

11. टिप्पणी–

वीक्षक का हस्ताक्षर केन्द्राधीक्षक का हस्ताक्षर